परिपत्र क्रमांक 4 /2013

राजस्थान–सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक,पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,राज.,
"कर–भवन", अजमेर

क्रमांकः एफ–6/निरी./मीटिंग/ 174 दिनांकः 16/4/13

परिपत्र

विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–6/निरी./मीटिंग/1578–90 दिनांक 20.10.2005 के अतिक्रम में राज्य सरकार के प्रशासनिक सुधार (अनु–2) विभाग पत्रांक प.3(39)प्र0सु0/अनु.2/97 दिनांक 28.04.2011 की पालना में विभाग के अधिकारियों के निरीक्षण/दौरे/रात्रि विश्राम निम्न प्रकार से निर्धारित किये जाते है :–

क्र. सं.	अधिकारी	कार्यालय	वर्ष के दौरान निरीक्षण	
			निरीक्षण की संख्या	रात्रि विश्राम
1	महानिरीक्षक	अतिरिक्त महानिरीक्षक/उप महानिरीक्षक/उप पंजीयक कार्यालय	30	22
2	अतिरिक्त महानिरीक्षक, जयपुर/ अजमेर	स्वयं का/उप महानिरीक्षक/ उप पंजीयक कार्यालय/जिला कोषाधिकारी	60	45
3	अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर	स्वयं का/वृत्त के उप पंजीयक कार्यालय	60	–
4	उप महानिरीक्षक (समस्त)	स्वयं का/वृत्त के उप पंजीयक कार्यालय	60	45

समस्त अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्धारित प्रावधान के अनुसार निरीक्षण कार्य सम्पन्न करके निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में विभाग को भिजावें। विशेष रूप से अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक का उप पंजीयक कार्यालयों के निरीक्षण के दौरान यह दायित्व है कि वह उप पंजीयक कार्यालयों में पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने वाले दस्तावेजों की गहनता से जॉच करें एवं कमी मुद्रांक एवं गलत वर्गीकरण के मामले ध्यान में आने पर नियमानुसार कार्यवाही करके कमी मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क की वसूली की कार्यवाही करावें। निरीक्षण के दौरान यह भी ध्यान रखा जावें की कार्यालय में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही है। अपने दस्तावेजों के पंजीयन कराने के लिये आने वाले व्यक्तियों को कार्यालय की व्यवस्थाओं से कोई असुविधा तो नहीं हो रही है।

अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) जयपुर एवं समस्त उप महानिरीक्षक जब भी अपने वृत्त में उप पंजीयक कार्यालय के निरीक्षण के लिये जाये उस स्थान पर स्थित प्रमुख लोक कार्यालयों का निरीक्षण अवश्य करें एवं निरीक्षण की रिपोर्ट विभाग द्वारा पंजीयन मार्गदर्शिका, 2009 के परिपत्र संख्या 24/09 के साथ संलग्न प्रारूप में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार द्वारा वित्त विधेयक, 2013 में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा–85 में संशोधन कर लोक कार्यालयों के निरीक्षण

हेतु तहसीलदार स्तर तक के अधिकारी को अधिकृत कर दिया गया है। अतः समस्त उप पंजीयकों को निर्देश दिये जाते है कि लोक कार्यालयों के निरीक्षण के संबंध में विभाग के स्तर से जारी पूर्व परिपत्रों में दिये गये निर्देशों एवं पंजीयन मार्गदर्शिका, 2009 के परिपत्र 24/09 में दिये गये निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये अपने क्षेत्र में स्थित प्रत्येक लोक कार्यालय का तीन माह में एक बार निरीक्षण अवश्य किया जायें एवं निरीक्षण रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में विभाग को भिजवाना सुनिश्चित किया जायें।

उपरोक्त निर्देशों के अनुसार निरीक्षण में किसी भी प्रकार की कोई शिथिलता नहीं बरती जावें। यदि आप द्वारा इसमें कोई लापरवाही बरती जाती है तो आपके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है, अतः सूचित रहें।

16/4/13

महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर

क्रमांकः एफ–6/निरी./मीटिंग/ 175-332 दिनांकः 16/4/13

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त कलक्टर एवं जिला पंजीयक, राजस्थान।
3. वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी, एस.आर.ए.5/कार्यालय महालेखाकार, (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा) राजस्थान, जनपथ, जयपुर।
4. पंजीयक,राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर को कर बोर्ड के माननीय सदस्यों के अवलोकनार्थ।
5. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
6. उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
7. अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, कमरा नम्बर 401, ब्लॉक–डी, वित्त भवन, जयपुर।
8. अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर / समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान।
9. समस्त उप पंजीयकगण राजस्थान।
10. मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत–जयपुर/जोधपुर।
11. उप राजकीय अभिभाषक, राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।
12. उप निदेशक (कम्प्युटर), मुख्यालय, अजमेर को अधिसूचना की प्रति विभाग की बेवसाईट **www.rajstamps.gov.in** पर अपलोड कराने हेतु।
13. समस्त आन्तरिक लेखा जाँच दल, मुख्यालय, अजमेर।
14. निजी–सचिव,महानिरीक्षक/निजी–सहायक, अति. महानिरीक्षक।
15. समस्त शाखाएँ, मुख्यालय, अजमेर।

अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान, अजमेर